प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 530/2003

श्याम कुमार @ श्याम यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचार हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता:

मैं सहमत हूँ

हस्ताक्षर/-
मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक: 20/08/2009 को सूचीबद्ध

हस्ताक्षर/-
19/08/2009

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

न्यायपीठ: <u>माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश,</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश</u>

<u>दांडिक अपील क्र.530/2003</u>

अपीलकर्ता: 1. अजूराम, पिता सूरजमन यादव, आयु लगभग 25 वर्ष, 25.10.2008 को मृत्यु हो गई, नाम हटा दिया गया और अपील का मृत्यु के कारण उपशमन।

2. श्याम कुमार @ श्याम यादव, पुत्र सूरजमन यादव, उम्र लगभग 22 वर्ष दोनों निवासी नागोई खार, पुलिस थाना दर्री

<u>बनाम</u>

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना दर्री, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

<u>(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)</u>

उपस्थिति:

श्रीमती मीना शास्त्री, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(20.08.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त तृतीय सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), कोरबा (छ.ग.) द्वारा 05 अप्रैल, 2003 को पारित सत्र विचारण क्र.190/2002 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास तथा 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलकर्ता क्र. 1 अजूराम की अपील के लंबित रहने के दौरान 25.10.2008 को मृत्यु हो गई, अतः उसकी ओर से दायर अपील का उपशमन कर दिया गया है और उसका नाम अपीलकर्ताओं की सूची से हटा दिया गया है।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 25.03.2002 को रात्रि लगभग 9 बजे मृतक जय प्रकाश अपने घर लौट रहा था। जब वह पंकज किराना स्टोर के पास पहुँचा, तो अभियुक्त अजूराम और श्यामलाल ने उस पर हमला कर दिया। अजूराम फरसा और श्याम कुमार लाठी से लैस था। उसे कई चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो

गई। मुकेश यादव (अभियोजन साक्षी क्र. 3) और संजय चौहान (अभियोजन साक्षी क्र. 22) मृतक के घर गए और उसके भाई जागेश यादव (अभियोजन साक्षी क्र. 1) को पूरी कहानी सुनाई, जिन्होंने उसी दिन रात लगभग 9.25 बजे पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता श्याम कुमार का नाम नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति का भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/4) भी दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी/2) दी और मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी/3) तैयार की। स्थल योजना (प्रदर्श पी/16) भी तैयार की गई। प्रदर्श पी/13 के तहत घटनास्थल से रक्त से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी ज़ब्त की गई। मृतक के शव को शव-परीक्षा (प्रदर्श पी/26) के लिए सौ शय्या अस्पताल, कोरबा भेजा गया, जहां डॉ. ए.डी. पुरेना (अभियोजन साक्षी क्र. 12) ने शव-परीक्षा किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/17) तैयार की। उन्होंने मृतक के शरीर पर कई चीरे हुए घाव देखे। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और कशेरुकाओं पर कटने के निशान थे। दाहिने पार्श्विका क्षेत्र

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पर गहरा घाव था। यहां तक कि मस्तिष्क का पदार्थ भी कटा हुआ था। छाती पर चोटें थीं। श्वासनली कटी हुई थी। शव परीक्षण सर्जन ने राय दी कि मृत्यु का कारण चोट वाली जगह से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रक्तस्रावी आघात था और यह हत्यात्मक प्रकृति का था।

अभियुक्तों को हिरासत में लेने के बाद, उनके ज्ञापन बयान प्रदर्श पी/9 और प्रदर्श पी/11 साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किए गए और प्रदर्श पी/9 के तहत आरोपी अजूराम से एक फरसा और प्रदर्श पी/12 के तहत आरोपी श्याम कुमार से लाठी जब्त की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रदर्श पी/19 के तहत एक और स्थल योजना तैयार की गई। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, लेकिन न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी।

सामान्य अन्वेषण के पूरे होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, कोरबा को सौंप दिया, जहां से इसे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक न्यायालय), कोरबा ने अंतरण द्वारा प्राप्त किया, जिन्होंने सुनवाई की और अभियुक्तों को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दोषसिद्धि, तेरसिया बाई (अभियोजन साक्षी क्र.2), शांता (अभियोजन साक्षी क्र.4), राम बाई (अभियोजन साक्षी क्र.20), मुकेश यादव (अभियोजन साक्षी क्र.3), संजय (अभियोजन साक्षी क्र.22) और ओमप्रकाश (अभियोजन साक्षी क्र.6) की गवाही पर आधारित है, जो जागेश (अभियोजन साक्षी क्र.1) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा समर्थित है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मीना शास्त्री ने मृतक की हत्यात्मक प्रकृति की हत्या से संबंधित मामले को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने अभियुक्त अजूराम (जिनकी अपील का मृत्यु के कारण उपशमन कर दिया गया है) की प्रश्नगत अपराध में सहभागिता को भी चुनौती नहीं दी है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता श्याम कुमार की भागीदारी संदिग्ध प्रतीत होती है; उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है; उनके बारे में कहा गया था कि वे लाठी से लैस थे, लेकिन मृतक को लगी चोटें चीरे गए घाव थे; और जहाँ तक अभियुक्त श्याम कुमार का संबंध है, गवाह अविश्वसनीय हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष इस अभियुक्त के विरुद्ध उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है। तेरसिया बाई (अभियोजन साक्षी क्र.2) ने बयान दिया कि "वह शांता बाई (अभियोजन साक्षी क्र.4) के

साथ अपने घर में मौजूद थी। महादेव नाम का एक व्यक्ति वहाँ आया और बताया कि अभियुक्त अजूराम और श्यामू किराना दुकान के सामने मृतक जय प्रकाश पर हमला कर रहे हैं। इस पर, वह घर से बाहर निकली और घटनास्थल पर पहुँची। शांता बाई (अभियोजन साक्षी क्र.4) भी उसके साथ गई। उसने देखा कि आरोपी अजूराम मृतक पर फरसा से और आरोपी श्यामू उस पर लाठी से हमला कर रहा था। उसने शोर मचाया, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। इस पर, वह राजू के घर गई और उसकी माँ को पूरी बात बताई। वह फिर से घटनास्थल पर आई और देखा कि मृतक जय प्रकाश खून से लथपथ पड़ा था। आरोपी वहाँ मौजूद नहीं थे। कई अन्य ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए थे।" प्रतिपरीक्षा में, पैरा 22 के अनुसार, उसे पुलिस केस डायरी (प्रदर्श डी/1) के बयान से रूबरू कराया गया, जिसमें उसने यह नहीं बताया था कि उसने आरोपियों को मृतक पर हमला करते देखा था और उसने केवल इतना कहा था कि दोनों आरोपी वहाँ खड़े थे। उसका केस डायरी बयान 26.03.2002 को दर्ज किया गया था। यदि वास्तव में उसने अभियुक्तों को मृतक पर उपरोक्त तरीके से हमला करते देखा था, तो उसे अपने केस डायरी बयान (प्रदर्श डी/1) में यह सब उल्लेख करना चाहिए था। उपरोक्त लोप एक महत्वपूर्ण लोप है जो इस साक्षी की गवाही पर संदेह पैदा करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोजन साक्षी क्र.4 शांता बाई, तेरसिया बाई (अभियोजन साक्षी क्र.2) के पीछे घटनास्थल पर पहुँची थी। उसने भी यह गवाही दी कि उसने अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते देखा था। अजूराम फरसा से और श्यामू लाठी से हमला कर रहा था। उसके बयान के अनुसार, वह तेरसिया बाई के पीछे घटनास्थल पर पहुँची थी। जब तेरसिया बाई घटनास्थल पर पहुँची, तो उसने देखा कि मृतक लेटा हुआ था और अभियुक्त वहाँ खड़े थे, जिससे पता चलता है कि उस समय तक घटना समाप्त हो चुकी थी। उपरोक्त स्थिति में, इस साक्षी के बयान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जब वह तेरसिया बाई के घटनास्थल पर पहुँचने के बाद घटनास्थल पर पहुँची थी। उसे केस डायरी में दर्ज बयान (प्रदर्श डी/3) भी दिखाया गया। उसके इस कथन पर, कि उसने अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते देखा था, तेरसिया बाई के कथन के दृष्टिकोण में भरोसा नहीं किया जा सकता।

8. अभियोजन साक्षी क्र.3 मुकेश कुमार एक बाल साक्षी है। वह मृतक का सगा भाई है। वह जागेश (अभियोजन साक्षी क्र. 1) का भी भाई है, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पैरा 4 के अनुसार बयान दिया कि "वह संजय कुमार (अभियोजन साक्षी क्र. 22) के घर में टेलीविजन देख रहा था। तेरसिया बाई वहाँ आई और उसने बताया कि अजूराम और श्यामू किराना दुकान के सामने उसके भाई जयप्रकाश पर हमला कर रहे हैं। वह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दौड़कर वहाँ गया और देखा कि अभियुक्त अजूराम उसके भाई पर फरसा से और अभियुक्त श्यामू लाठी से हमला कर रहा था। उसने उनसे बात की जिस पर उन्होंने उसे धमकी दी।"

9. संजय कुमार (अभियोजन साक्षी क्र. 22) भी एक बाल साक्षी है। उसने भी यह बयान दिया कि "तेरसिया बाई द्वारा दी गई सूचना पर वे घटनास्थल पर गए और देखा कि अजूराम और श्यामू मृतक के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने बयान दिया कि मुकेश (अभियोजन साक्षी क्र.3) के साथ अपने घर में टेलीविजन देख रहे थे, तभी तेरसिया बाई वहाँ आईं और बताया कि अजूराम और श्यामू मृतक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस पर, वह मुकेश (अभियोजन साक्षी क्र.3) के साथ घटनास्थल पर गया। उनकी आरोपियों से बातचीत हुई। आरोपियों ने उन्हें धमकाया। इस पर, वे मृतक के घर गए और उसके भाई जागेश (अभियोजन साक्षी क्र.1) को पूरी बात बताई। जागेश (अभियोजन साक्षी क्र.1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुकेश यादव (अभियोजन साक्षी क्र.3) और संजय चौहान (अभियोजन साक्षी क्र.22) नामक दो साक्षियों के नाम भी दर्ज कराए हैं और कहा है कि इन दोनों ने उसे बताया कि अजूराम ने फरसा से हमला करके जयप्रकाश की हत्या कर दी है। मुकेश यादव (अभियोजन साक्षी क्र.3) और यह साक्षी जागेश मृतक के सगे भाई है । यदि वास्तव में इन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षियों ने देखा होता कि अपीलकर्ता श्याम कुमार भी हमले में शामिल था, तो उन्होंने जागेश को यह बताया होता और जागेश ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त श्याम कुमार का नाम उल्लेख किया होता।

10. अभियोजन साक्षी क्र.3 मुकेश और अभियोजन साक्षी क्र.22 संजय कुमार के अनुसार, उन्हें तेरसिया बाई (अभियोजन साक्षी क्र.2) ने सूचना दी थी और उसके बाद वे घटनास्थल पर गए थे। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, तेरसिया बाई और शांता बाई (अभियोजन साक्षी क्र.4) घटनास्थल पर तब पहुँचीं जब हमला हो चुका था। उन्होंने केवल घटनास्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति देखी थी और वास्तविक हमला नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि मुकेश यादव (अभियोजन साक्षी क्र.3) और संजय चौहान (अभियोजन साक्षी क्र.22) ने वास्तविक हमला कभी नहीं देखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. राम बाई (अभियोजन साक्षी क्र.20) ने गवाही दी कि उसने मृतक पर अजूराम और श्यामू द्वारा हमला होते देखा था। अजूराम फरसा से और श्यामू लाठी से लैस था। उसका केस डायरी विवरण 07.06.2002 को दर्ज किया गया था। उसने गवाही दी कि अभियुक्त अजूराम ने मृतक के दोनों पैर फरसा से काट दिए थे। मरणोत्तर समीक्षा रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए, हम इस साक्षी के बयान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।

12. ओमप्रकाश (अभियोजन साक्षी क्र.6) उक्त किराना दुकान का दुकानदार

है। उसने बयान दिया कि जब उसने शोरगुल सुना, तो वह अपनी दुकान से बाहर आया और देखा कि आरोपी अजूराम और श्यामू घटनास्थल से जा रहे थे। अजू टंगिया से लैस था और श्यामू डंडा से लैस था। कुछ देर बाद, अजूराम फिर से वापस आया और जमीन पर पड़े मृतक पर टंगिया से हमला किया। इसलिए, उसने अपीलकर्ता क्र. 2 श्याम कुमार को मृतक पर हमला करते हुए भी नहीं देखा था।

13. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि आरोपी श्यामलाल का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, हमें प्रश्नगत अपराध में उसकी संलिप्तता पर संदेह है। दो प्रत्यक्षदर्शियों, जिनमें से एक मृतक का सगा भाई भी था, की सूचना के आधार पर मृतक के सगे भाई द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हम यह भी ध्यान दें कि मृतक को केवल धारदार हथियार से किए गए घाव ही मिले थे, जबकि अपीलकर्ता श्याम कुमार पर आरोप था कि उसने मृतक पर लाठी से हमला किया था। इसलिए, आँखों से दिए गए बयान और चिकित्सीय साक्ष्य में पर्याप्त विसंगति थी। इससे अपीलकर्ता की वास्तविक संलिप्तता पर भी संदेह उत्पन्न होता है। सामान्य आशय के सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत

भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उपरोक्त कारणों से, हम अपीलकर्ता श्याम कुमार की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं।

15. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, इस अपीलकर्ता की विचाराधीन अपराध में संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियोजन पक्ष ने उसके विरुद्ध कोई भी मामला सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध नहीं किया है। हमारे सुविचारित मत में, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

16. तदनुसार, अपीलकर्ता श्याम कुमार की ओर से दायर अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत उसे दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता श्याम कुमार उर्फ श्यामू यादव 27.3.2002 से अभिरक्षा में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हस्ताक्षर/-
मुख्य न्यायाधिपति
न्यायाधिपति

हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधिपति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- Shubhangi Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur